

संयुक्त प्रवेश परीक्षा एवं प्रशिक्षण अनुसंधान विकास प्रकोष्ठ, देहरादून



विवरण पुरित्तका

INFORMATION BROCHURE

संयुक्त प्रवेश परीक्षा पालीटेकनिक्स 2020

आनलाईन आवेदन की तिथियाँ दिनांक 15 जनवरी 2020 से दिनांक 15 अप्रैल 2020 तक ऑफलाईन (ओ०एम०आर०) आवेदन की तिथियाँ दिनांक 20 जनवरी 2020 से 04 अप्रैल 2020 तक उत्तराखण्ड में समस्त राजकीय एवं राजकीय सहायता प्राप्त पालीटेकनिक संस्थानों में उपलब्ध

परिषद् की वेबसाईट www.ubter.in, www.ubtejeep.in

उत्तराखण्ड प्राविधिक शिक्षा परिषद् रूड़की से सम्बद्ध उत्तराखण्ड के पालीटेकनिकों / तकनीकी संस्थानों में डिप्लोमा इंजीनियरिंग / टेक्नोलाजी एवं अन्य पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु

संयुक्त प्रवेश परीक्षा एवं प्रशिक्षण अनुसंधान विकास प्रकोष्ठ अपर आमवाला देहरादून

उत्तराखण्ड प्राविधिक शिक्षा परिषद से सम्बद्ध उत्तराखण्ड के पॉलीटेकनिकों / तकनीकी संस्थानों में डिप्लोमा इंजीनियरिंग / टेक्नोलॉजी एवं अन्य पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु

संयुक्त प्रवेश परीक्षा पॉलीटेकनिक्स — 2020 (JEEP-2020)

विवरण पुस्तिका (INFORMATION BROCHURE)

≽ आनलाईन /ऑफलाईन ओ०एम०आर० आवेदन (परीक्षा शुल्क / काउंसिलिंग शुल्क / जी०एस०टी० सहित) :

1.अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए —₹ 500.00 2.अन्य सभी वर्गों के लिए — ₹ 800.00

- अभ्यर्थी परिषद् की वेबसाईट www.ubter.in एवं www.ubtejeep.in पर आनलाईन आवेदन दिनांक 15 जनवरी 2020 से दिनांक 15 अप्रैल 2020 तक कर सकते हैं।
- ऑफ लाईन ओ०एम०आर० आवेदन पत्र उत्तराखण्ड में परिषद् से सम्बद्ध समस्त राजकीय एवं राजकीय सहायता प्राप्त संस्थानों में दिनांक 20 जनवरी 2020 से 04 अप्रैल 2020 के मध्य उपलब्ध होंगे। अभ्यर्थी उक्त तिथियों में आवेदन पत्र निर्धारित पालीटेकनकों से क्रय एवं जमा कर सकते हैं। अभ्यर्थी आवेदन पत्र भरने के पश्चात पंजीकृत डाक के माध्यम से ''संयुक्त सचिव, संयुक्त प्रवेश परीक्षा एवं प्रशिक्षण अनुसंधान विकास प्रकोष्ठ अपर आमवाला देहरादून─248001'' के पते पर भी भेज सकते हैं।
- 🕨 आनलाईन आवेदन करने की प्रक्रिया वेबसाईट पर उपलब्ध है।
- उत्तराखण्ड के बाहर निवास करने वाले अभ्यर्थी (जिनके पास उत्तराखण्ड राज्य का स्थायी निवास प्रमाण पत्र नहीं है) उसी दशा में आवेदन पत्र भरें यदि उनके द्वारा न्यूनतम अर्हता की परीक्षा उत्तराखण्ड राज्य से उत्तीर्ण की गयी हो।
- उत्तराखण्ड प्राविधिक शिक्षा परिषद्, रूड़की से सम्बद्ध उत्तराखण्ड के राजकीय/महिला/ग्रामीण/अनुदानित/ निजी क्षेत्र के शिक्षण संस्थाओं में चल रहे डिप्लोमा इन इन्जीनियरिंग/टेक्नोलॉजी पाठ्यक्रमों (प्रथम एवं द्वितीय वर्ष में प्रवेश हेतु), फार्मेसी, मार्डन आफिस मैनेजमेन्ट एण्ड सेक्रेट्रियल प्रैक्टिस तथा अन्य डिप्लोमा पाठ्यक्रमों जैसे— डिप्लोमा इन होटल

मैनेजमैन्ट एण्ड केटरिंग टेक्नोलॉजी, पी०जी०डी०सी०ए० में प्रवेश हेतु संयुक्त प्रवेश परीक्षा पालीटेकिनिक्स— 2020 का आयोजन "उत्तराखण्ड प्राविधिक शिक्षा परिषद्, संयुक्त प्रवेश परीक्षा एवं प्रशिक्षण अनुसंधान विकास प्रकोष्ठ, अपर आमवाला देहरादून" के तत्वाधान में होगा।

संस्था एवं पाठ्यक्रम : विभिन्न पॉलीटेकिनकों में चल रहे डिप्लोमा इंजीनियरिंग / टेक्नोलॉजी / फार्मेसी एवं अन्य पाठ्यक्रमों जैसे — होटल मैनेजमैन्ट एण्ड केटरिंग टेक्नोलॉजी एवं पीठजीठडीठसीठएठ जिनमें संयुक्त प्रवेश परीक्षा के माध्यम से प्रथम वर्ष में प्रवेश किये जायेंगे। संस्थानों की सूची तथा पाठ्यक्रमों का विकल्प देने हेतु पाठ्यक्रम ग्रुप कोड निम्नवत हैं:—

S.N	INST CODE	INSTITUTE NAME		BRANCH CODE							
1.	002	GOVERNMENT GIRLS POLYTECHNIC, ALMORA	05	09	12	15					
2.	003	GOVERNMENT GIRLS POLYTECHNIC, SUDDHOWALA, DEHRADUN	05	09	15	42					
3.	006	GOVERNMENT POLYTECHNIC, PITHOWALA, DEHRADUN	02	05	09	12	14	16	26		
4.	007	GOVERNMENT POLYTECHNIC, DWARAHAT, ALMORA	02	05	09	12	15	16			
5.	008	GOVERNMENT POLYTECHNIC, GAUCHAR, CHAMOLI	12	16	39	40					
6.	009	GOVERNMENT POLYTECHNIC, KASHIPUR, UDHAM SINGH NAGAR	01	02	05	09	12	14	16	25	27
7.	010	GOVERNMENT POLYTECHNIC, LOHAGHAT, CHAMPAWAT	02	09	12	16					
8.	011	GOVERNMENT POLYTECHNIC, NAINITAL	02	08	09	12	14	15	16		
9.	012	GOVERNMENT POLYTECHNIC, NARENDRA NAGAR, TEHRI GARHWAL	08	09	12	16					
10.	013	GOVERNMENT POLYTECHNIC, SHAKTIFARM, UDHAM SINGH NAGAR	01	09							
11.	014	GOVERNMENT POLYTECHNIC, SRINAGAR, PAURI GARHWAL	02	05	08	09	12	14	16	26	
12.	015	GOVERNMENT POLYTECHNIC, SULT, ALMORA	05	09							
13.	016	GOVERNMENT POLYTECHNIC, UTTARKASHI	02	08	09	15	16				
14.	017	GOVERNMENT RURAL POLYTECHNIC, TAKULA, ALMORA	09								
15.	018	GOVERNMENT RURAL POLYTECHNIC, THALNADI, PAURI GARHWAL	09	15							
16.	019	K.L. POLYTECHNIC, ROORKEE	02	08	17	30	33				
17.	021	GOVERNMENT POLYTECHNIC, KOTABAGH, NAINITAL	05	09							
18.	026	BLUE MOUNTAIN COLLEGE OF H.M.C.T., DEHRADUN	07								
	027	GYANI INDER SINGH INSTITUTE OF PROFESSIONAL STUDIES,	16								
19.	028	ROORKEE COLLEGE OF PHARMACY, ROORKEE	16								
20.	029	MODERN INSTITUTE OF TECHNOLOGY, RISHIKESH	02	08	14	16					
21.	030	GOVERNMENT POLYTECHNIC, KOTDWAR, PAURI GARHWAL	05	09							
22.	031	AMRAPALI INSTITUTE OF HOTAL MANAGEMENT, HALDWANI	07								
23.	032	GOVERNMENT POLYTECHNIC, GARUR, BAGESHWAR	14								
25.	033	GOVERNMENT POLYTECHNIC, KALADHUNGI, NAINITAL	05	32	37						
26.	034	GOVERNMENT POLYTECHNIC, GANAI GANGOLI, PITHORAGARH	12	14							
27.	035	GOVERNMENT POLYTECHNIC, RUDRAPRAYAG	05								
28.	036	GOVERNMENT POLYTECHNIC, SHYAMPUR, RISHIKESH	08								
29.	037	GOVERNMENT POLYTECHNIC, SAHIYA, DEHRADUN	33								
30.	038	GOVERNMENT POLYTECHNIC, SATPULI, PAURI GARHWAL	14								
31.	039	GOVERNMENT POLYTECHNIC, NEW TEHRI	08								
32.	040	GOVERNMENT POLYTECHNIC, GOPESHWAR, CHAMOLI	12								
33.	041	GOVERNMENT POLYTECHNIC, BEEROKHAL, PAURI GARHWAL	02								

S.N	INST	INSTITUTE NAME		BRANCH CODE							
34.	042	GOVERNMENT POLYTECHNIC, KANDA, BAGESHWAR	14								
35.	044	SHREE DEV BHOOMI INSTITUTE OF EDUCATION SCIENCE AND TECHNOLOGY, DEHRADUN	02	08	14	16	29				
26	045	SHAKUMBHRI INSTITUTE OF HIGHER EDUCAITON, PUHANA,	02	08	16	33					
36. 37.	047	GOVERNMENT POLYTECHNIC, AAMWALA, DEHRADUN	09								
38.	048	GOVERNMENT POLYTECHNIC, HARIDWAR	09								
39.	049	GOVERNMENT POLYTECHNIC, PANTNAGAR, UDHAM SINGH NAGAR	09								
40.	050	GOVERNMENT POLYTECHNIC, MALLASALAM, ALMORA	05								
41.	051	GOVERNMENT POLYTECHNIC, VIKASNAGAR, DEHRADUN	09								
42.	052	GOVERNMENT POLYTECHNIC, KANALICHHEENA, PITHORAGARH	08								
43.	053	BISHAMBHAR SAHAI DIPLOMA ENGINEERING COLLEGE, ROORKEE	02	05	08	09	14	29	34		
44.	054	RAMANAND INSTITUTE OF PHARMACY AND MANAGEMENT, HARIDWAR	02	08	09	14	16				
45.	055	BLUE MOUNTAIN GROUP OF COLLEGE'S, DEHRADUN	02	08	14						
46.	056	ROORKEE COLLEGE OF POLYTECHNIC, KISHANPUR, ROORKEE	02	05	14	30	31	33	35		
47.	057	UTTARATECH POLYTECHNIC DHANAURI,ROORKEE	02	08	33						
48.	058	COLLEGE OF ADVANCE TECHNOLOGY, ROORKEE	02	08	26	33					
49.	059	GOVERNMENT POLYTECHNIC, DIDIHAT, PITHORAGARH	29								
50.	060	GOVERNMENT POLYTECHNIC, JAKHOLI, RUDRAPRAYAG	12								
51.	061	SUNRISE ACADEMY MANAGEMENT SOCIETY , DEHRADUN	16								
52.	062	OM INSTITUTE OF TECHNOLOGY, HARIDWAR	02	05	08	14	16	30			
53.	063	SMT. MANJIRA DEVI SHIKSHAN AND PRASHIKSHAN INSTITUTE, UTTARKASHI	16								
54.	064	SIDDHARTH INSTITUTE OF PHARMACY, DEHRADUN	16								
55.	065	ALPINE COLLEGE OF MANAGEMENT & TECHNOLOGY, DEHRADUN	02	07	16	26	33				
56.	066	MOTHERHOOD INSTITUTE OF MANAGEMENT & TECHNOLOGY, ROORKEE	02	08	33						
57.	067	SWAMI DARSHNANANDA INSTITUTE OF MANAGEMENT AND TECHNOLOGY POLYTECHNIC, HARIDWAR	02	05	08	09	14				
58.	068	GET GROUP OF INSTITUTION (FACULTY OF TECHNOLOGY), BAZPUR	02	08	14	26	37				
59.	069	UTTARAKHAND INSTITUTE OF TECHNOLOGY & PROFESSIONAL EDUCATION, RAMNAGAR	02	05	08	09	14				
60.	070	BALWANT SINGH MUKHIYA(BSM) COLLEGE OF POLYTECHNIC, ROORKEE	02	05	80	14	29				
	071	SMT. TARAWATI INSTITUTE OF BIO MEDICAL & ALLIED SCIENCE,	16								
62.	072	ROORKEE GOVERNMENT POLYTECHNIC, BARKOT, UTTARKASHI	02	12							
63.	073	GOVERNMENT POLYTECHNIC, HINDOLAKHAL, TEHRI GARHWAL	14								
64.	074	GOVERNMENT POLYTECHNIC, MUNAKOT, PITHORAGARH	02								
65.	075	GOVERNMENT POLYTECHNIC, KAPKOT, BAGESHWAR	15								
66.	076	SIX SIGMA INSTITUTE OF TECHNOLOGY & SCIENCE, RUDRAPUR	02	08	09	26	33				
67.	078	PHONICS GROUP OF INSTITUTIONS, ROORKEE	02	08	14						
68.	080	I M S INSTITUTE OF TECHNOLOGY, ROORKEE	02	08	14						
69.	081	ROORKEE COLLEGE OF ENGINEERING, ROORKEE	02	14	31						
70.	082	G R D POLYTECHNIC, DEHRADUN	02	05	08	09	14				
71.	083	DEV BHOOMI INSTITUTE OF TECHNOLOGY, DEHRADUN	02	08	09	14					
72.	084	SHIVALIK COLLEGE OF ENGINEERING, DEHRADUN	02	08	14						
73.	086	BHARTAM INSTITUTE OF TECHNOLOGY, DEHRADUN	02	05	08	14					
74.	087	J B INSTITUTE OF TECHNOLOGY, DEHRADUN	02	08	14						
75.	088	DOON INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY, RISHIKESH	02	08	14	26					

S.N	INST CODE	INSTITUTE NAME		BRANCH CODE						
76.	090	GOVERNMENT POLYTECHNIC, TANAKPUR, CHAMPAWAT	02	05						
77.	091	GOVERNMENT POLYTECHNIC, KHATIMA, UDHAM SINGH NAGAR	02	08						
78.	092	GOVERNMENT POLYTECHNIC, KULSARI, CHAMOLI	02							
79.	093	GOVERNMENT POLYTECHNIC, PRATAPNAGAR, TEHRI GARHWAL	02							
80.	095	GOVERNMENT POLYTECHNIC, GAJA , TEHRI GARHWAL	02							
	096	GOVERNMENT POLYTECHNIC, BHALSAVAGAAJ, BHAGWANPUR,	14							
81.	097	ROORKEE GOVERNMENT POLYTECHNIC, BAJPUR, UDHAM SINGH NAGAR	02	14						
82.	098	GOVERNMENT POLYTECHNIC, JAKHNIDHAR, TEHRI GARHWAL	05							
83.	099	GOVERNMENT POLYTECHNIC, GAIRSAIN, CHAMOLI	08							
84.	100	GOVERNMENT POLYTECHNIC, PIRUMADARA, RAMNAGAR, NAINITAL	08							
85.	101	GOVERNMENT POLYTECHNIC, QUANSI, DEHRADUN	08							
86.	102	ROORKEE INSTITUTE OF TECHNOLOGY,ROORKEE	02	08	14					
87.	103	AMRAPALI INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND SCIENCE, HALDWANI	08	14						
88.	104	BHAGIRATHI INSTITUTE OF TECHNOLOGY & MANAGEMENT	02	08	33					
89.		COLLEGE, LOHAGHAT		30						
90.	105	RUDRAPUR INSTITUTE OF TECHNOLOGY, RUDRAPUR	02	08	09	26	33			
91.	107	DEV BHUMI INSTITUTE OF POLYTECHNIC, DEHRADUN	02	05	26					
92.	108	DEV BHUMI INSTITUTE OF PHARMACY AND RESEARCH, DEHRADUN	16							
93.	111	BFIT TECHNICAL CAMPUS, SUDDHOWALA, CHAKRATA ROAD, DEHRADUN	02	05	08	14	36			
	113	TULAS INSTITUTE MEHRA-KA-GAON SELAQUIE, DHOOLKOT	14	31						
94.	114	DEHRADUN GOVERNMENT POLYTECHNIC, PAURI	14							
95.	115	GOVERNMENT POLYTECHNIC, BANS, PITHORAGARH	02							
96.	116	GOVERNMENT POLYTECHNIC, BHIMTAL, NAINITAL	02							
97.	117	GOVERNMENT POLYTECHNIC, BADECHEENA, ALMORA	08	14						
98.	118	GOVERNMENT POLYTECHNIC, BACHELIKHAL, TEHRI GARHWAL	14							
99.	119	GOVERNMENT POLYTECHNIC, CHINYALISAUR, UTTARKASHI	02							
100.	120	GOVERNMENT POLYTECHNIC, PIPLI, UTTARKASHI	08							
101.	121	GOVERNMENT POLYTECHNIC, CHAMPAWAT	30							
102.	122	GOVERNMENT POLYTECHNIC, CHOPTA, RUDRAPRAYAG	02							
103.	123	GOVERNMENT POLYTECHNIC, PABO, PAURI GARHWAL	08							
104.	124	GOVERNMENT POLYTECHNIC, KANDIKHAL, TEHRI GARHWAL	02							
105.	125	GOVERNMENT POLYTECHNIC, POKHARI, CHAMOLI	02	08	14					
106.	126	GOVERNMENT POLYTECHNIC, BERINAG, PITHORAGARH	30							
107.	127	GOVERNMENT POLYTECHNIC, BANSBAGAD, PITHORAGARH	41							
108.	128	GOVERNMENT POLYTECHNIC, BARAM, PITHORAGARH	08							
109.	129	GOVERNMENT POLYTECHNIC, JOSHIMATH, CHAMOLI	08							
110.	130	GOVERNMENT POLYTECHNIC, JAINTI, ALMORA	02							
111.	131	SRI SAI INSTITUTE OF TECHNOLOGY, JASPUR	02	08	14	26				
112.	132	BHAGIRATHI INSTITUTE OF PHARMACY, LOHAGHAT	16							
113.	133	SURAJMAL AGGARWAL COLLEGE OF POLYTECHNIC, KICHHA,	02	08	14	29	30			
114.	134	UDHAM SINGH NAGAR BISHAMBHAR SAHAI COLLAGE OF PHARMACY, ROORKEE	16							
115.	135	DEVSTHALI VIDHYAPEETH INSTITUTE OF PHARMACY, UDHAM SINGH	16							
116.		NAGAR								
117.	136	PRAGATI COLLEGE OF PHARMACY, KASHIPUR	16							
118.	137	HIMALAYAN INSTITUTE OF PHARMACY AND RESEARCH, DEHRADUN	16							

	INST	INSTITUTE NAME	BRANCH CODE						
S.N	CODE								
119.	138	RCP COLLEGE OF PHARMACY, ROORKEE	16						
120.	139	KUKREJA INSTITUTE OF PHARMACEUTICAL SCIENCE DEHRADUN	16						
121	142	ARIHANT COLLEGE OF PHARMACY BADHEDI DAULATPUR	16						
121.	4.40	HARIDWAR							
122.	143	DROAN COLLEGE OF PHARMACY DINESHPUR U.S. NAGAR	16						
	144	GLOBAL INSTITUTE OF PHARMACEUTICAL EDUCAITON AND	16						
123.		RESEARCH JASPUR ROAD KASHIPUR							
124.	145	JBIT COLLEGE OF PHARMACY, DEHRADUN	16						
125.	146	COLLEGE OF PHARMACY, DEHRADUN	16						
126.	147	SAMRAT PRITHIVIRAJ CHAUHAN COLLEGE OF PHARMACY US NAGAR	16						
127.	148	BURMAN GROUP OF INSTITUTION HARIDWAR	16						
128.	149	AMRAPALI INSTITUTE OF PHARMACY AND SCIENCES, HALDWANI	16						
129.	150	BRD COLLEGE OF PHARMACY ROORKEE	16						
130.	151	SIX SIGMA INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND SCIENCE RUDRAPUR	16						
131.	152	RUDRAPUR COLLEGE OF MANAGMENT AND TECHNOLOGY RUDRAPUR	16						
132.	153	DEVASTHALI VIDYAPEETH COLLEGE OF PHARMACY RUDRAPUR	16						
133.	154	SANJEEVANI HOSPITAL AND MEDICAL RESEARCH INSTITUTE ROORKEE	16						
134.	155	COLLEGE OF PHARMACY ROORKEE	16						
135.	156	KINGSTON IMPERIAL INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND SCIENCES DEHRADUN	16						
136.	157	AROMA COLLEGE ROORKEE	16						
137.	158	MAYA COLELGE OF PHARMACY DEHRADUN	16						
138.	159	GRD (PG) IMT DEHRADUN	16						
139.	160	HARIDWAR COLLEGE OF PHARMACY HARIDWAR	16						

नोट:— उपरोक्त तालिका में सत्र 2019—20 के अनुसार सम्बद्ध संस्थानों का विवरण एवं उनमें संचालित पाठ्यक्रमों को दर्शाया गया है। सत्र 2020—21 के लिये ए०आई०सी०टी०ई० से अनुमोदन के उपरान्त ही काउंसिलिंग के माध्यम से प्रवेश प्रदान किये जायेंगे। राज्य सरकार अथवा उत्तराखण्ड प्राविधिक शिक्षा परिषद् बिना किसी पूर्व सूचना के किसी भी संस्था / पाठ्यक्रम में सीटों की संख्या को परिवर्तित कर सकती है अथवा किसी पाठ्यक्रम विशेष में प्रवेश बन्द या प्रारम्भ कर सकती है।

गुपवार पाठ्यक्रमों के कोड की सूची

SN	GROUP CODE	BRANCHCODE	BRANCH NAME
1.		01	CHEMICAL ENGINEERING
2.		02	CIVIL ENGINEERING
3.		05	COMPUTER SCIENCE & ENGINEERING
4.		08	ELECTRICAL ENGINEERING
5.		09	ELECTRONICS ENGINEERING
6.	E (ENGINEERING)	12	INFORMATION TECHNOLOGY
7.		14	MECHANICAL ENGINEERING
8.		25	AGRICULTURE ENGINEERING
9.		26	MECHANICAL ENGINEERING (AUTOMOBILE)
10.		27	CHEMICAL ENGINEERING (PAINT)
11.		29	AUTOMOBILE ENGINEERING

SN	GROUP CODE	BRANCHCODE	BRANCH NAME
12.		30	ELECTRONICS & COMMUNICATION ENGINEERING
13.		31	ELECTRICAL & ELECTRONICS ENGINEERING
14.		32	INSTRUMENTATION & CONTROL ENGINEERING
15.		33	MECHANICAL ENGINEERING (PRODUCTION)
16.		34	PRODUCTION ENGINEERING
17.		35	CIVIL ENGINEERING (CONSTRUCTION TECHNOLOGY)
18.		36	ELECTRONICS & TELECOMMUNICATION ENGINEERING
19.		37	ELECTRONICS & COMMUNICATION ENGINEERING (INDUSTRY INTEGRATED)
20.		38	ELECTRONICS AND COMMUNICATION ENGINEERING (TECH ELEX RADIO)
21.		39	ELECTRONICS ENGINEERING (SPECIALIZATION IN CONSUMER ELECTRONICS)
22.		40	CIVIL ENGINEERING (ENVIRONMENAL & POLLUTION CONTROL)
23.		41	CIVIL ENGINEERING (PUBLIC HEALTH ENGINEERING)
24.		42	INTERIOR DESIGN
25.	H (DHMCT)	07	HOTEL MANAGMENT & CATERING TECHNOLOGY
26.	M (MOMSP)	15	MODERN OFFICE MANAGEMENT & SECRETARIAL PRACTICE
27.	P (PHARMACY)	16	PHARMACY
28.	G (PGDCA)	17	P.G. DIPLOMA IN COMPUTER APPLICATION
29.	A (LATERAL ENTRY)	ALL BRANCHES O DATED 19 AUG 2	DF GROUP E (ENGINNERING) AS UTTARAKHAND G.O. 740/XLI-1/2011-26/10 011

🕨 परीक्षा कार्यक्रमः

ग्रुप	पाठ्यक्रम का नाम एवं कोड	परीक्षा दिवस एवं तिथि	परीक्षा समय एवं पाली
E	इंजीनियरिंग एवं टेक्नोलाजी पाठ्यक्रम	रविवार 10 मई 2020	प्रातः 10.00 बजे से 12.00 बजे तक प्रथम पाली
P	डिप्लोमा इन फार्मेसी	रविवार 10 मई 2020	सायं 2.00 बजे से 4.00 बजे तक द्वितीय पाली
Н	होटल मैनेजमेन्ट एण्ड कैटरिंग टेक्नोलॉजी	सोमवार 11 मई 2020	प्रातः 10.00 बजे से 12.00 बजे तक प्रथम पाली
M	माडर्न आफिस मैने० एण्ड सेक्रेट्रियल प्रैक्टिस	सोमवार 11 मई 2020	प्रातः 10.00 बजे से 12.00 बजे तक प्रथम पाली
G	पी. जी. डिप्लोमा इन कम्प्यूटर एप्लीकेशन	सोमवार 11 मई 2020	प्रातः 10.00 बजे से 12.00 बजे तक प्रथम पाली
A	लेटरल एन्ट्री पाठ्यक्रम (इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम (ग्रुप–E) में द्वितीय वर्ष में प्रवेश हेतु	सोमवार 11 मई 2020	सायं 2.00 बजे से 4.00 बजे तक द्वितीय पाली

🕨 आयु : प्रवेश चाहने वाले अभ्यर्थियों के लिये आयु सीमा का कोई प्रतिबन्ध नहीं है।

- > स्वास्थ्य : प्रवेश परीक्षा के अभ्यर्थियों की शारीरिक स्वस्थता जांच के लिये न्यूनतम मानक निम्नवत होंगे:--
 - शारीरिक स्वस्थता जॉच— उत्तराखण्ड प्राविधिक शिक्षा परिषद से सम्बद्ध उत्तराखण्ड के संस्थाओं में चल रहे डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु अभ्यर्थी को मानसिक तथा शारीरिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए तथा उसके शरीर में ऐसी कोई कमी नहीं होनी चाहिए जिसके फलस्वरूप वह प्रोफेशन का कार्य दक्षता से सम्पन्न न कर सके। प्रत्येक अभ्यर्थी को प्रवेश लेने से पूर्व राजकीय चिकित्सालय द्वारा निर्गत स्वस्थता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- प्रवेश हेतु पाठ्यक्रम का नाम, कोड, अवधि, शैक्षिक अर्हता, परीक्षा—विषय तथा प्रवेश
 परीक्षा में प्रश्नों का प्रतिशत :—

Г						
	पाठ्यक्रम	पाठ्यक्रम का	अवधि	न्यूनतम शैक्षिक अर्हता	परीक्षा विषय एवं पाठ्य	यक्रम
	ग्रुप	नाम	51 111	gran strain steam	1441111111111	121-1
L					0	
]		डिप्लोमा इंजीनियरिंग / टेक्नोलाजी पाठ्यक्रम	तीन वर्षीय	विज्ञान तथा गणित (प्रारम्भिक गणित नहीं) विषयों के साथ मा0शि0प0 उत्तराखण्ड की हाईस्कूल परीक्षा उत्तीर्ण अथवा समकक्ष परीक्षा। (Obtained at least 35% marks at the qualifying examination)	खण्ड–एक–गणित खण्ड–दो–विज्ञान (भौतिकी तथा रसायन)	50% 50%
]		डिप्लोमा इन फार्मेसी	दो वर्षीय	भारत के राजपत्र संख्या 19, Part-3, Section-4, Chapter-2 बिन्दु संख्या 4 के अनुसार — 10+2 / इन्टरमीडिएट, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान तथा जीवन विज्ञान अथवा गणित विषयों के साथ। फार्मेसी काउंसिल आफ इण्डिया के मानकों के अनुसार राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय से इन्टरमीडिएट उत्तीर्ण फार्मेसी पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु मान्य होगा।	खण्ड–एक–फिजिक्स, कैमिस्ट्री खण्ड–दो–बायोलाजी या गणित	50% 50%
1	ı	डिप्लोमा इन होटल मैनेजमेन्ट एण्ड केटरिंग टेक्नोलाजी	तीन वर्षीय	10+2/ इन्टरमीडिएट अथवा समकक्ष परीक्षा अंग्रेजी विषय के साथ (Obtained at least 35% marks at the qualifying examination)	रीजनिंग एण्ड लाजिकल डिस्कशन न्यूमेरिकल एबिलिटी साइंटिफिक एप्टीट्यूड अंग्रेजी भाषा सामान्य ज्ञान	25% 25% 25% 25%
I	Л	माडर्न आफिस मैनेजमेन्ट एण्ड सेक्रेट्रियल प्रैक्टिस	दो वर्षीय	10+2 / इन्टरमीडिएट या उसके समकक्ष (हाईस्कूल अथवा इन्टरमीडिएट परीक्षा में हिन्दी तथा अंग्रेजी विषय का होना अनिवार्य है।)	अंग्रेजी एवं हिन्दी कम्प्रहेन्सन रीजनिंग एण्ड इन्टेलीजेन्सी न्यूमेरिकल एबिलिटी जनरल अवेयरनेस	30% 35% 10% 25%
	3	पी.जी.डिप्लोमा इन कम्प्यूटर एप्लीकेशन	दो वर्षीय	—रनातक उपाधि—	अंग्रेजी कम्प्रहेन्सन न्यूमेरिकल एबिलिटी रीजनिंग जनरल इन्टेलीजेन्सी, जनरल अवेयरनेस	20% 15% 30% 20% 15%
A		डिप्लोमा इंजी0 पाठ्यक्रम के द्वितीय वर्ष में लेटरल एन्ट्री के माध्यम से प्रवेश	दो वर्षीय	 1. 10+2 परीक्षा उत्तीर्ण (भौतिकी, रसायन एवं गणित विषय) या 2. 10+2 परीक्षा उत्तीर्ण (व्यवसायिक / प्राविधिक विषय उत्तीर्ण) या 3. दो वर्षीय आई०टी०आई० उत्तीर्ण 	हाईस्कूल स्तर की गणित– भौतिकी– रसायन– सामान्य इंजी0– (विद्युत, इलेक्ट्रानिक्स, यांत्रिक)	40% 20% 20% 20%
L						

नोट ≔

 उपरोक्त पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु प्रवेश परीक्षा पाठ्यक्रम विशेष के लिए न्यूनतम अर्हता के लिए निर्धारित पाठ्यचर्या के अन्तर्गत होगी।

- 2. महिला पॉलीटेकनिक संस्थानों में उपलब्ध पाठ्यक्रम केवल महिला अभ्यर्थियों के लिए है, परन्तु अन्य पॉलीटेकनिक / संस्थानों में महिला / पुरुष अभ्यर्थियों से सीटें भरी जायेंगी।
- 3. हाईस्कूल कृषि विषय के साथ उत्तीर्ण छात्र भी ग्रुप E में एग्रीकल्चर पाठ्यक्रम के लिये आवेदन कर सकते हैं।
- 4. ग्रुप— **A** में प्रवेश के इच्छुक अभ्यर्थियों के लिये हाईस्कूल / समकक्ष परीक्षा गणित (प्रारम्भिक गणित नहीं) एवं विज्ञान विषय के साथ उत्तीर्ण होनी अनिवार्य है।
- प्रत्येक ग्रुप में आवेदन हेतु अभ्यर्थी को अलग–अलग आवेदन करना होगा।
- ▶विकलांग एवं अक्षम अभ्यर्थी:— विकलांग अभ्यर्थियों हेतु उत्तराखण्ड की निम्नलिखित संस्था में चल रहे निम्न पाठ्यक्रमों में विकलांग अभ्यर्थियों को प्रवेश दिया जायेगा। जिसमें भी उपरोक्तानुसार प्रवेश सुविधायें उपलब्ध हैं।

संस्था का नाम इलेक्ट्रा० इंजी० इलेक्ट्री० इंजी० मैके० इंजी.(प्रो०) पी०जी०डी०सी०ए० के० एल० पाली० रूड़की 06 सीटें 06 सीटें 06 सीटें 07 सीटें उपरोक्त के अतिरिक्त शेष सभी संस्थाओं में चल रहे पाठ्यक्रमों में विकलांग अभ्यर्थियों हेतु प्रवेश क्षमता का 4 प्रतिशत क्षेतिज प्रकृति का आरक्षण उपलब्ध है। इन संस्थाओं में विकलांग अभ्यर्थियों को सामान्य अभ्यर्थियों के अनुरूप ही सुविधायें उपलब्ध हैं। उपरोक्त श्रेणी में केवल ऐसे विकलांग अभ्यर्थी पात्र होंगे, जिनकी अक्षमता 40 प्रतिशत अथवा उससे अधिक हो।

> प्रवेश हेतु अनिवार्यता:-

1. जिन्होंने निर्धारित अर्हकारी परीक्षा उत्तराखण्ड में स्थित मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं से उत्तीर्ण की हो

अथवा

2. जिन्होंने अर्हकारी परीक्षा उत्तराखण्ड के बाहर किसी अन्य प्रदेश से उत्तीर्ण की हो किन्तु उत्तराखण्ड के स्थाई निवासी हों।

यदि कोई विदेशी संयुक्त प्रवेश परीक्षा में चयनित हो जाता है तो उसके प्रवेश हेतु अभ्यर्थी के देश के सक्षम प्राधिकारी द्वारा नामित/संस्तुत होने अथवा केन्द्र सरकार द्वारा नामित/संस्तुत/सहमति आवश्यक होगी। कश्मीर से विस्थापित अभ्यर्थियों हेतु शासनादेश में दी गई व्यवस्था के अनुसार सीटें आरक्षित की गई हैं, तदानुसार प्रवेश अनुमन्य होगा।

विशेष ध्यानाकर्षण :

अ. आरक्षण वर्ग के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थी यह भली—भाँति नोट कर लें, कि चयनित होने के बाद भी उन्हें प्रवेश तभी दिया जायेगा जब वे आरक्षण सम्बन्धी प्रमाण—पत्र (सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त) निर्धारित तिथि तक प्रस्तुत करेंगे। प्रमाण—पत्र प्रस्तुत न कर पाने की दशा में उनका चयन निरस्त माना जायेगा और वे प्रवेश के पात्र नहीं होंगे, तथा इस सम्बन्ध में उनका कोई भी दावा मान्य नहीं होगा।

ब. प्रवेश के पश्चात संस्था / पाठ्यक्रम स्थानान्तरण किसी भी दशा में सम्भव नहीं होगा। सीटों का आरक्षणः

प्रवेश परीक्षा के माध्यम से संस्थाओं में प्रवेश हेतु आरक्षण उत्तराखण्ड सरकार के सुसंगत शासनादेशों के अधीन निम्नवत् है :--

क्र०सं०	जिनके लिये आरक्षित है	आरक्षित स्थान	कोड						
ऊर्ध्वाधर आरक्षण									
1.	अनुसूचित जाति (S.C.) अभ्यर्थियों के लिये।	19 %	SC						
2.	अनुसूचित जनजाति (S.T.) अभ्यर्थियों के लिये।	04 %	ST						
3.	अन्य पिछड़े वर्ग (O.B.C.) अभ्यर्थियों के लिये।	14 %	OBC						
4.	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के (E.W.S.) अभ्यर्थियों के लिये।	10 %	EWS						
5.	N.C.C. प्रमाण पत्र धारकों के लिए (उत्तराखण्ड सरकार के शासनादेशानुसार)	प्रवेश परीक्षा के प्राप्तांकों में A B तथा C हेतु प्राप्तांकों का क्रमशः 1, 2, तथा 3% जोड़ा जायेगा	NCC						
क्षैतिज अ	ारक्षण								
6.	स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी (D.F.F.) के आश्रितों के लिये।	02 % संस्थागत्, पाठ्यक्रमवार कुल सीटों के सापेक्ष	DFF						
7.	भूतपूर्व सैनिकों / अपंग / मृत सैनिकों के आश्रित (MP)	05 % संस्थागत्, पाठ्यक्रमवार कुल सीटों के सापेक्ष	MP						
8.	विकलांग अभ्यर्थियों (PH) के लिये।	04 %	PH						
9.	महिलाओं (Women) के लिये।	30 %	WO						

नोट: 1. उपरोक्त आरक्षण उत्तराखण्ड शासन द्वारा परिवर्तनीय है।

- 2. यदि कोई अभ्यर्थी प्रोविजनली चयनित हो जाने की दशा में अपने आरक्षण वर्ग, उपवर्ग का प्रमाण-पत्र शासन द्वारा निर्धारित प्रारूप पर प्रवेश के समय संस्था मे प्रस्तुत नहीं करता है अथवा आरक्षण के सम्बन्ध में उसके द्वारा दिया गया वक्तव्य असत्य पाया जाता है तो किसी अन्य वर्ग में समायोजित नहीं किया जायेगा एवं उसकी पात्रता/चयन निरस्त समझा जायेगा।
- 3. भूतपूर्व सैनिकों के लिए शासनादेश में दी गयी व्यवस्था के अनुसार आरक्षण दिया जायेगा। आश्रितों की परिभाषा सैनिक कल्याण बोर्ड द्वारा निर्धारित व्यवस्था अनुमन्य होगी।
- 4. आरक्षण प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त होना अनिवार्य है। आरक्षण (SC, ST, OBC) का लाभ लेने के लिये उत्तराखण्ड राज्य का स्थायी निवासी होना अनिवार्य है। यदि अभ्यर्थी काउंसिलिंग के समय प्रमाण पत्र नहीं प्रस्तुत करता है तो उसे काउंसिलिंग में प्रवेश के लिये अर्ह नहीं माना जायेगा।
- 5. N.C.C. का लाभ लेने के लिये अभ्यर्थियों को आवश्यक है कि आवेदन करते समय उनके पास A,B अथवा C सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है। क्योंकि अभ्यर्थी के प्राप्तांकों में अंकों का प्रतिशत क्रमशः 1,2 एवं 3 प्रतिशत जोड़ा जाता है अतः काउंसिलिंग में यदि अभ्यर्थी N.C.C. का उक्त प्रमाण पत्र नहीं प्रस्तुत करता है तो काउंसिलिंग में प्रवेश का अर्ह नहीं माना जायेगा।

> चयन एवं काउंसिलिंग सम्बन्धी नियम:-

- मेरिट सूची: सभी पाठ्यक्रमों में पाठ्यक्रम एवं संस्था का आवंटन मेरिट के आधार पर काउंसिलिंग के माध्यम से किया जायेगा, मेरिट सूची में अभ्यर्थी का मेरिट क्रम प्राप्तांकों के आधार पर होगा। एक से अधिक अभ्यर्थियों के उक्त प्राप्तांकों का योग यदि समान होता है तो उस स्थिति में प्रत्येक अभ्यर्थी की पारस्परिक मेरिट की अवधारणा प्रथमतः सम्बन्धित अभ्यर्थियों के जन्म तिथि के आधार पर मेरिट निर्धारित की जायेगी। इसके उपरान्त भी यदि मेरिट क्रमांक की अवधारणा न हो तो सम्बन्धित अभ्यर्थियों के गणित, विज्ञान / रसायन, बायोलॉजी जैसी भी स्थिति के अंकों के आधार पर मेरिट निर्धारित की जायेगी और अन्त में यदि उक्त सभी विकल्पों के बावजूद मेरिट निर्धारित नहीं हो पाती तो सम्बन्धित अभ्यर्थियों का मेरिट क्रम सचिव, उत्तराखण्ड प्राविधिक शिक्षा परिषद् द्वारा निर्धारित की जायेगी।
- परीक्षाफल/मेरिट सूची की घोषणा : जीप—2020 के परीक्षाफल एवं रैंक की घोषणा परिषद् की वेबसाइट में 20 मई 2020 को प्रकाशित की जायेगी। अभ्यर्थी अपना प्रवेश पत्र परीक्षा होने से संस्था में प्रवेश होने तक अपने पास सुरक्षित रखें।
- कम्प्यूटराईज्ड काउंसिलिंग : कम्प्यूटराईज्ड काउंसिलिंग की तिथियां व समय समाचार पत्रों एवं परिषद् की वेब साईट पर प्रकाशित की जायेगी। इसके लिए अभ्यर्थी को अलग से कोई सूचना (Call Letter) नहीं भेजी जायेगी।

- परीक्षाफल प्रकाशन से पूर्व अथवा बाद में जब भी आवश्यक हो राज्य सरकार के पास प्रत्येक पाठ्यक्रमों की सीटों में (जिसमें आरक्षित श्रेणी की सीटें सम्मिलत है) कमी, बढ़ोत्तरी अथवा उनके संबन्ध में अन्य कोई भी परिवर्तन करने का पूर्ण अधिकार रहेगा।
- परिषद् द्वारा ए०आई०सी०टी०ई० से वर्ष 2020-21 हेतु अनुमोदित संस्थानों / पाठ्यक्रमों एवं
 अनुमोदित प्रवेश क्षमता के अनुसार ही काउंसिलिंग में सम्मिलित किया जायेगा।
- आरक्षण सम्बन्धी प्रमाण—पत्र : आरक्षण प्रमाण—पत्र जैसे अन्य पिछड़ी जाति, अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति, सैनिक आश्रित, स्वतंत्रता संग्राम सैनानी आश्रित, विकलांग आदि को आरक्षण का लाम प्रवेश के समय सम्बन्धित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। उक्त प्रमाण—पत्र सक्षम अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित होना आवश्यक है। जो अभ्यर्थी आवेदन—पत्र में दर्शाये गये आरक्षण वर्ग के लिए सक्षम अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित प्रमाण—पत्र प्रवेश के समय प्रवेश समिति के समक्ष प्रस्तुत नहीं कर पायेंगे वे प्रवेश के पात्र नहीं होंगे। अतः अभ्यर्थी को चाहिए कि वह आवेदन करते समय आरक्षण वर्ग तथा उपवर्ग के कालम का विशेष ध्यान रखें तथा आरक्षित वर्गों की सीटों हेतु तब ही आवेदन करें जब वे वाँछित प्रमाण—पत्र रखते हों एवं प्रवेश के समय प्रवेश समिति के समक्ष प्रस्तुत कर सकें, क्योंकि बाद में उन्हें अन्य वर्ग में किसी भी परिस्थितियों में समायोजित नहीं किया जायेगा।
- प्रवेश पत्र : प्रवेश पत्र संयुक्त प्रवेश परीक्षा की तिथि के 15 दिन पूर्व, परिषद् की वेबसाईट पर आनलाईन उपलब्ध रहेगा। अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र डाक द्वारा प्रेषित नहीं किये जायेंगे। अभ्यर्थी को चाहिए कि वह प्रवेश-पत्र पर अंकित आरक्षण वर्ग, उपवर्ग भली-भाँति चेक कर लें। किसी भी प्रकार की त्रुटि होने पर आनलाईन ही त्रुटि का सुधार संभव होगा।
- प्रवेश के समय आरक्षण वर्ग का प्रमाण-पत्र प्रारूप पर प्रस्तुत न कर पाने की दशा में अम्यर्थन स्वतः समाप्त हो जायेगा,
 और इस सन्दर्भ में कोई भी दावा मान्य नहीं होगा। प्रवेश परीक्षा-2020 में चयनित अभ्यर्थियों का चयन केवल सत्र-2020-21 के लिये है। यह चयन किसी भी दशा में अगले सत्र के लिये मान्य नहीं होगा।
- प्रवेश परीक्षा केन्द्र / शहर परीक्षा केन्द्र / शहर निम्नवत हैं:--

शहर का नाम	कोड
रूड़की	11
हरिद्वार	12
देहरादून	13
नई टिहरी	14
उत्तरकाशी	15
श्रीनगर	16

शहर का नाम	कोड
कोटद्वार	17
गौचर	18
रूद्रप्रयाग	19
काशीपुर	20
रूद्रपुर	21
हल्द्वानी	22

शहर का	कोड
नाम	
नैनीताल	23
अल्मोड़ा	24
पिथौरागढ़	25
बागेश्वर	26
लोहाघाट	27

नोट:

1. अभ्यर्थी कृपया यह नोट कर लें कि उनके द्वारा प्रवेश परीक्षा हेतु दिये गये प्रथम विकल्प परीक्षा केन्द्र पर यदि छात्रों की संख्या 100 से कम पायी जाती है तो उन्हें निकटतम परीक्षा केन्द्र आवंटित किया जायेगा।

- 2. नैनीताल, अल्मोड़ा काशीपुर, लोहाघाट, उत्तरकाशी, श्रीनगर, देहरादून एवं रूड़की में E, P ग्रुप के अतिरिक्त अन्य ग्रुप A,H,G,M की परीक्षायें भी आयोजित होंगी।
- 3. आयोजक संस्था को यह अधिकार होगा कि किसी भी अभ्यर्थी को किसी भी केन्द्र से परीक्षा देने की अनुमित दे सकता है। आयोजक संस्था द्वारा आवंटित परीक्षा केन्द्र में कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा।
- 4. यदि कोई अभ्यर्थी संयुक्त प्रवेश परीक्षा के पाठ्यक्रम ग्रुप कोड E, P तथा अन्य ग्रुपों (A,M,G तथा H) के पाठ्यक्रमों की परीक्षा में बैठने हेतु निर्धारित शैक्षिक अर्हताएं रखता है तथा वह एक से अधिक ग्रुपों की परीक्षाओं में बैठने का इच्छुक है तो उसे प्रत्येक ग्रुप की परीक्षाओं हेतु अलग—अलग आवेदन करने होंगे। ऐसे अभ्यर्थी परीक्षा केन्द्र हेतु विकल्प ऊपर लिखित शहरों में से ही दें तािक उन्हें सभी परीक्षाओं (प्रातः पाली एवं सायं पाली /अगली तिथि की प्रातः पाली एवं सायं पाली) में सम्मिलित होने में कोई असुविधा न हो तथा भिन्न—भिन्न परीक्षा केन्द्र न मिलें। यथा सम्भव प्रयास किया जायेगा कि विकल्प के मुताबिक अभ्यर्थी को परीक्षा केन्द्र आंवटित किया जायेगा परन्तु इस प्रकार कि कोई बाध्यता परिषद की नहीं होगी।

> अन्य आवश्यक निर्देश:-

- उत्तराखण्ड प्राविधिक शिक्षा परिषद् रूड़की द्वारा संचालित "संयुक्त प्रवेश परीक्षा पॉलीटेकनिक्स—2020" में सम्मिलित होने से अभ्यर्थी उन सभी नियमों, प्रतिबन्धों से आबद्ध हो जाता है जो इस विवरण—पुस्तिका में विभिन्न स्थानों पर दिये गये हैं या जिन्हें समय—समय पर परिषद् या राज्य सरकार परिवर्तित करे या लागू करे।
- यदि किसी अभ्यर्थी के द्वारा प्रस्तुत सूचना प्रवेश से पूर्व / प्रवेश के समय या भविष्य में असत्य पायी जाती है तो अभ्यर्थी का अभ्यर्थन / प्रवेश निरस्त कर दिया जायेगा।
- इस विवरण—पुस्तिका में दिये गये विवरण अभ्यर्थियों के सूचनार्थ तथा निर्देशार्थ है। अतः इसका उपयोग वर्णित कार्य के अतिरिक्त किसी अन्य कार्य के लिये मान्य नहीं होगा। वाद की स्थिति में न्यायिक क्षेत्र देहरादून में स्थित न्यायालय ही मान्य है। परीक्षार्थियों के सम्बन्ध में परिषद् का निर्णय अन्तिम होगा तथा वे परिषद् के निर्देश मानने हेतु बाध्य होंगे।
- अभ्यर्थी का चयन केवल इस वर्ष के लिये ही किया जायेगा। यदि अभ्यर्थी किसी कारणवश (अघोषित परीक्षाफल, अपूर्ण परीक्षाफल, पूरक परीक्षा, अंकतालिका न मिलने, टी.सी. न मिलने, अन्य वाँछित प्रमाण—पत्र न प्रस्तुत कर पाने आदि—आदि।) प्रवेश की तिथि तक सभी वाँछित प्रमाण—पत्र प्रस्तुत कर प्रवेश नहीं ले पाता है, तो उसका चयन स्वतः ही निरस्त हो जायेगा और इसका उत्तरदायित्व परिषद् पर नहीं होगा तथा उसे अगले वर्ष प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
- इस विवरण—पुस्तिका के अतिरिक्त परिषद् द्वारा अथवा उसकी ओर से अन्य किसी भी संस्थान द्वारा अभ्यर्थियों के मार्गदर्शन / गाइडेन्स हेतु किसी प्रकार का कोई प्रकाशन नहीं किया गया है। यदि कोई संस्थान / परिषद् के नाम का दुरुपयोग करता है तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जा सकती है।
- अभ्यर्थी को चाहिये कि आनलाईन आवेदन करने से पूर्व विवरण—पुस्तिका का भली—भाँति अध्ययन कर लें। आरक्षण, उपवर्ग, फार्म करने की अन्तिम तिथि, मांगे गये शहर का नाम (जहां से वह परीक्षा देना चाहता है।) अवश्य नोट कर लें, जिससे कि बाद में आवश्यकता पड़ने पर वह संदर्भ दे सकें। ऑनलाईन फार्म का प्रिन्ट आउट परिषद् में भेजने की आवश्यकता नहीं है।
- अभ्यर्थी को चाहिये कि वह आरक्षण वर्ग तथा उपवर्ग प्रत्येक जगह सही—सही भरें तथा चेक कर लें कि उसको आनलाईन प्रवेश—पत्र पर अंकित उसका आरक्षण वर्ग तथा उपवर्ग सही

है। त्रुटि होने पर परिषद् कार्यालय से तुरन्त सम्पर्क कर त्रुटि सुधार करवा लें। प्रवेश होने पर सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रारूपों पर संबंधित आरक्षण वर्ग / उपवर्ग का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत न कर पाने पर अभ्यर्थी का प्रवेश स्वतः ही समाप्त हो जायेगा और इस सम्बन्ध में उसका कोई भी दावा मान्य न होगा तथा यह चयन किसी भी स्थिति में अगले वर्ष के लिये मान्य नहीं होगा।

- निदेशक प्राविधिक शिक्षा के पत्रांक 215 / प्रदेश एनटीपीसी / 2012—13 दि. 12—12—2012 के संदर्भ में राजकीय पॉलीटेक्निक कालाढुंगी में सभी पाठ्यक्रमों में प्रवेश क्षमता की 10% सीटें एनटीपीसी में तैनात कार्मिकों के आश्रित अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित है।
- उपरोक्त संस्थायें एवं पाठ्यक्रम् ए०आई०सी०टी०ई० द्वारा सत्र 2019–20 में दिये गये अनुमोदन के आधार पर दर्शायी गयी हैं, जो कि अनिन्तम हैं। इनमें विभाग / शासन द्वारा निरीक्षण / जाँच किये जाने पर अथवा किसी भी प्रकार की कमी अथवा अनुशासनहीनता पाये जाने पर कभी भी परिवर्तन / निरस्त किया जा सकता है। ए०आई०सी०टी०ई० द्वारा सत्र 2020–21 हेतु प्रदान किये जाने वाले अनुमोदन के आधार पर काउंसिलंग का आयोजन किया जायेगा।
- काशीपुर में संचालित एग्रीकल्चर पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु हाईस्कूल कृषि के साथ उत्तीर्ण अभ्यर्थी भी आवेदन के पात्र होंगे।
- उत्तर प्रदेश में उत्तराखण्ड के अभ्यर्थियों हेतु एन0आर0आई0पी0टी0 इलाहाबाद में प्रिंटिंग टेक्नोलोजी में 2 सीट आरक्षित की गयी है।
- शासनादेश सं0 740/XLI-1/2011-26/10 प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा अनुभाग, देहरादून दिनांक 19 अगस्त 2011 के अनुसार ग्रुप–ए के अनुसार इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम में द्वितीय वर्ष में प्रवेश हेतु शासनादेश में दर्शायी गयी शाखाओं में 10–10 प्रतिशत अतिरिक्त सीटें क्रमशः आई0टी0आई0 तथा 10+2 उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के लिये निम्नानुसार होंगी:–

शासनादेश संख्या— 740 / XLI-1/2011-26/10 प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा अनुभाग, देहरादून दिनांक 19 अगस्त 2011 का संलग्नक—1 डिप्लोमा इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों के द्वितीय वर्ष में प्रवेश हेतू आई0टी0आई0 ट्रेडवार न्यूनतम शैक्षिक अर्हता एवं पाठ्यक्रमों का विवरण

16	प्लामा इजाामधार	ч чіочя		ाश हतु आइए	टा०आइ० ट्रंडवार न्यूनतम शक्षिक अहता ए	प पाठ्यक्रमा प	म ।पपरण
क्र0	आई०टी०आई०	अवधि	प्रवेश हेतु न्यूनतम	डिप्लोमा	उत्तीर्ण किये जाने वाले अनिवार्य विषय	टिप्पणी	डिप्लोमा
सं0	ट्रेड का नाम	आई0	अनिवार्य शैक्षिक अर्हता	इंजीनियरिंग			द्वितीय वर्ष में
		ਟੀ0		पाठ्यक्रम			प्रवेश क्षमता
		आई0		(द्वितीय			
		ट्रेड		वर्ष)			
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	फिटर	02 वर्ष	हाईस्कूल / समकक्ष	मैकेनिकल	1. English & Communication Skills-I	स्तम्भ-६ में	कुल प्रवेश
			(गणित, विज्ञान विषय	इंजी0	Applied Mathematics-I	अंकित विषय	क्षमता का 10
			सहित) उत्तीर्ण		3. Applied Physics-I	उत्तीर्ण	प्रतिशत
			(10+2 स्कीम)		Applied Chemistry-I Basics of Information Technology	करना	अतिरिक्त।
			* प्रारम्भिक गणित नहीं		5. Basics of information reciniology	अनिवार्य है	
						किन्तु कुल	
						योग में	
						इनके अंक	
						नहीं जोड़े	
						जायेंगे।	
2.	टर्नर	02 वर्ष	–तदैव–	मैकेनिकल	English & Communication Skills-I	रतम्भ-६ में	कुल प्रवेश
				इंजी0	2. Applied Mathematics-I	अंकित विषय	क्षमता का 10
					Applied Physics-I Applied Chemistry-I	उत्तीर्ण	प्रतिशत
					5. Basics of Information Technology	करना	अतिरिक्त।
					3. Dasies of information reciniology	अनिवार्य है	
						किन्तु कुल	
						योग् में	
						इनके अंक	
						नहीं जोड़े	
						जायेंगे।	

क्र0 सं0	आई0टी0आई0 ट्रेड का नाम	अवधि आई0 टी0	प्रवेश हेतु न्यूनतम अनिवार्य शैक्षिक अर्हता	डिप्लोमा इंजीनियरिंग	उत्तीर्ण किये जाने वाले अनिवार्य विषय	टिप्पणी	डिप्लोमा द्वितीय वर्ष में
		210 आई0 ट्रेड		पाठ्यक्रम (द्वितीय वर्ष)			प्रवेश क्षमता
1	2	3	4	5	6	7	8
3.	मशीनिष्ट मशीनिष्ट	02 वर्ष	-तदेव-	मैकेनिकल इंजी0	English & Communication Skills-I Applied Mathematics-I Applied Physics-I Applied Chemistry-I Basics of Information Technology	रतम्भ-6 में अंकित विषय उत्तीर्ण करना अनिवार्य है किन्तु कुल	कुल प्रवेश क्षमता का 10 प्रतिशत अतिरिक्त।
						योग में इनके अंक नहीं जोड़े जायेंगे।	
4.	रेफ्रीजरेशन एण्ड एयर कण्डीशन मैकेनिक	02 वर्ष	–तदैव–	मैकेनिकल इंजी0	English & Communication Skills-I Applied Mathematics-I Applied Physics-I Applied Chemistry-I Basics of Information Technology	रतम्म–6 में अंकित विषय उत्तीर्ण करना अनिवार्य है किन्तु कुल योग में इनके अंक नहीं जोड़े जायेंगे।	कुल प्रवेश क्षमता का 10 प्रतिशत अतिरिक्त।
5.	ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल	02 वर्ष	–तदैव–	मैकेनिकल इंजी0	English & Communication Skills-I Applied Mathematics-I Applied Physics-I Applied Chemistry-I Basics of Information Technology	स्तम्भ—6 में अंकित विषय उत्तीर्ण करना अनिवार्य है किन्तु कुल योग में इनके अंक नहीं जोड़े जायेंगे।	कुल प्रवेश क्षमता का 10 प्रतिशत अतिरिक्त।
6.	मैकेनिकल मोटर व्हीकल	02 वर्ष	−तदैय−	मैकेनिकल इंजी0 (ओटोमाबाई ल)	English & Communication Skills-I Applied Mathematics-I Applied Physics-I Applied Chemistry-I Basics of Information Technology	रतम्म—6 में अंकित विषय उत्तीर्ण करना अनिवार्य है किन्तु कुल योग में इनके अंक नहीं जोड़े जायेंगे।	कुल प्रवेश क्षमता का 10 प्रतिशत अतिरिक्त।
7.	इलैक्ट्रीशियन	02 वर्ष	–तदैव–	इलैक्ट्रिकल इंजी0	English & Communication Skills-I Applied Mathematics-I Applied Physics-I Applied Chemistry-I Basics of Information Technology	स्तम्भ-6 में अंकित विषय उत्तीर्ण करना अनिवार्य है किन्तु कुल योग में इनके अंक नहीं जोड़े जायेंगे।	कुल प्रवेश क्षमता का 10 प्रतिशत अतिरिक्त।
8.	वायरमैन	02 वर्ष	–तदैव–	इलैक्ट्रिकल इंजी0	English & Communication Skills-I Applied Mathematics-I Applied Physics-I Applied Chemistry-I Basics of Information Technology	स्तम्भ-६ में अंकित विषय उत्तीर्ण करना अनिवार्य है	कुल प्रवेश क्षमता का 10 प्रतिशत अतिरिक्त।

क्र0 सं0	आई0टी0आई0 ट्रेड का नाम	अवधि आई0 टी0 आई0	प्रवेश हेतु न्यूनतम अनिवार्य शैक्षिक अर्हता	डिप्लोमा इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम (द्वितीय	उत्तीर्ण किये जाने वाले अनिवार्य विषय	टिप्पणी	डिप्लोमा द्वितीय वर्ष में प्रवेश क्षमता
		ट्रेड		वर्ष)			
1	2	3	4	5	6	7	8
						किन्तु कुल योग में इनके अंक नहीं जोड़े जायेंगे।	
9.	ड्राफ्ट् समैन सिविल	02 वर्ष	–तदैव–	सिविल इंजी0	English & Communication Skills-I Applied Mathematics-I Applied Physics-I Applied Chemistry-I Basics of Information Technology	स्तम्म—6 में अंकित विषय उत्तीर्ण करना अनिवार्य है किन्तु कुल योग में इनके अंक नहीं जोड़े	कुल प्रवेश क्षमता का 10 प्रतिशत अतिरिक्त।
10.	सर्वेयर	02 वर्ष	-तदेव-	सिविल इंजी0	1. English & Communication Skills-I 2. Applied Mathematics-I 3. Applied Physics-I 4. Applied Chemistry-I 5. Basics of Information Technology	जायेंगे। स्तम्भ-6 में अंकित विषय उत्तीर्ण करना अनिवार्य है किन्तु कुल योग में इनके अंक नहीं जोड़े जायेंगे।	कुल प्रवेश क्षमता का 10 प्रतिशत अतिरिक्त।
11.	मैकेनिक रेडियो एण्ड टीoवीo	02 वर्ष	<u> </u>	इलैक्ट्रॉनिक स इंजी0	English & Communication Skills-I Applied Mathematics-I Applied Physics-I Applied Chemistry-I Basics of Information Technology	स्तम्भ – 6 में अंकित विषय उत्तीर्ण करना अनिवार्य है किन्तु कुल योग में इनके अंक नहीं जोड़े जायेंगे।	कुल प्रवेश क्षमता का 10 प्रतिशत अतिरिक्त।
12.	मैकेनिक इलैक्ट्रॉनिक्स	02 वर्ष	-तदेव-	इलैक्ट्रॉनिक स इंजी0	English & Communication Skills-I Applied Mathematics-I Applied Physics-I Applied Chemistry-I Basics of Information Technology	स्तम्भ – 6 में अंकित विषय उत्तीर्ण करना अनिवार्य है किन्तु कुल योग में इनके अंक नहीं जोड़े जायेंगे।	कुल प्रवेश क्षमता का 10 प्रतिशत अतिरिक्त।
13.	इन्स्ट्रुमेन्ट मैकेनिक	02 वर्ष	–तदैव–	इलैक्ट्रॉनिक स इंजी0	English & Communication Skills-I Applied Mathematics-I Applied Physics-I Applied Chemistry-I Basics of Information Technology	स्तम्भ—6 में अंकित विषय उत्तीर्ण करना अनिवार्य है किन्तु कुल योग में इनके अंक नहीं जोड़े जायेंगे।	कुल प्रवेश क्षमता का 10 प्रतिशत अतिरिक्त।

	क्र0 सं0	आई०टी०आई० ट्रेड का नाम	अवधि आई० टी० आई० ट्रेड	प्रवेश हेतु न्यूनतम अनिवार्य शैक्षिक अर्हता	डिप्लोमा इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम (द्वितीय वर्ष)	उत्तीर्ण किये जाने वाले अनिवार्य विषय	टिप्पणी	डिप्लोमा द्वितीय वर्ष में प्रवेश क्षमता
	1	2	3	4	5	6	7	8
1	14.	मैकेनिक कम ऑपरेटर इलैक्ट्रॉ. कम्यूनिकेशन सिस्टम	02 वर्ष	<u> </u>	इलैक्ट्रॉनिक स इंजी0	English & Communication Skills-I Applied Mathematics-I Applied Physics-I Applied Chemistry-I Basics of Information Technology	स्तम्म—6 में अंकित विषय उत्तीर्ण करना अनिवार्य है किन्तु कुल योग में इनके अंक नहीं जोड़े जायेंगे।	कुल प्रवेश क्षमता का 10 प्रतिशत अतिरिक्त।
1	15.	इन्फॉरमेशन टेक्नोलॉजी एण्ड इलै0 सिस्ट0 मैन्टि0	02 वर्ष	–तदैव–	इलैक्ट्रॉनिक स इंजी0	English & Communication Skills-I Applied Mathematics-I Applied Physics-I Applied Chemistry-I Basics of Information Technology	स्तम्भ-6 में अंकित विषय उत्तीर्ण करना अनिवार्य है किन्तु कुल योग में इनके अंक नहीं जोड़े जायेंगे।	कुल प्रवेश क्षमता का 10 प्रतिशत अतिरिक्त।

उपरोक्तानुसार 2 वर्षीय आई0टी0आई0 फिटर, टर्नर, मशीनिष्ट, रेफीजरेशन एण्ड एयर कंडीशन मैकेनिक, ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल प्रमाण पत्र धारक अभ्यर्थी यांत्रिक अभियंत्रण / मैकेनिकल मोटर व्हीकल प्रमाण पत्र धारक अभ्यर्थी यांत्रिक अभियंत्रण (आटोमोबाईल) / इलैक्ट्रीशियन, वायरमैन प्रमाण पत्र धारक अभ्यर्थी विद्युत इंजी० / ड्राफ्ट्समैन, सर्वेयर प्रमाण पत्र धारक अभ्यर्थी सिविल इंजी० / मैकेनिक रेडियो एंड टी0वी०, मैकेनिक इलेक्ट्रानिक्स, इन्स्ट्रूमेन्ट मैकेनिक, मैकेनिक कम आपरेटर इलेक्ट्रॉ कम्यूनिकेशन सिस्टम, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एण्ड इलै० सिस्ट० मैन्टि० प्रमाण पत्र धारक अभ्यर्थी इलेक्ट्रानिक्स इंजी० द्वितीय वर्ष में प्रवेश के पात्र होंगे। अतः आई0टी0आई० उत्तीर्ण छात्र कृपया उपरोक्त सारिणी का भली—भॉति अध्ययन कर सुनिश्चित कर लें कि वह जिस पाठ्यक्रम में आवेदन करना चाहते हैं, उससे सम्बन्धित प्रवेश अईता एवं अन्य शर्ते पूर्ण करते हैं।

शासनादेश संख्या— 740 / XLI-1/2011-26/10 प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा अनुभाग, देहरादून दिनांक 19 अगस्त 2011 का संलग्नक—2 डिप्लोमा इंजीनियरिंग पाठयक्रमों के द्वितीय वर्ष में प्रवेश हेत इण्टरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण तथा न्यनतम शैक्षिक अर्हता एवं पाठयक्रमों का विवरण

क्र	0 शैक्षिक योग्यता	प्रवेश हेतु न्यूनतम अनिवार्य शैक्षिक	प्रस्तावित डिप्लोमा	उत्तीर्ण किये जाने वाले अनिवार्य विषय	टिप्पणी	डिप्लोमा द्वितीय वर्ष में
		अर्हता	इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम (द्वितीय वर्ष)			प्रवेश क्षमता
1		3	4	5	6	7
1.	इण्टरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण (भौतिकी, रसायन एवं गणित विषय सहित)	हाईस्कूल / समकक्ष (गणित, विज्ञान विषय सहित) उत्तीर्ण (10+2 स्कीम) ' प्रारम्भिक गणित नहीं	कोई भी इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम	English & Communication Skills-I Applied Mathematics-I Applied Physics-I Applied Chemistry-I Basics of Information Technology Engineering Drawing-I	स्तम्भ–5 में अंकित विषय उत्तीर्ण करना अनिवार्य है किन्तु कुल योग में इनके अंक नहीं जोड़े जायेंगे।	कुल प्रवेश क्षमता का 10 प्रतिशत अतिरिक्त।
2.	इण्टरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण (व्यावसायिक / प्राविधिक विषय सहित)	हाईस्कूल / समकक्ष (गणित, विज्ञान विषय सहित) उत्तीर्ण (10+2 स्कीम) ' प्रारम्भिक गणित नहीं	व्यावसायिक / प्राविधिक विषय के अनुसार संबंधित इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम	1. English & Communication Skills-I 2. Applied Mathematics-I 3. Applied Physics-I 4. Applied Chemistry-I 5. Basics of Information Technology 6. Engineering Drawing-I	स्तम्भ–5 में अंकित विषय उत्तीर्ण करना अनिवार्य है किन्तु कुल योग में इनके अंक नहीं जोड़े जायेंगे।	कुल प्रवेश क्षमता का 10 प्रतिशत अतिरिक्त।

संस्थायें एवं पाठ्यक्रम: उत्तराखण्ड राज्य में प्राविधिक शिक्षा की राज्य सरकार द्वारा संचालित राजकीय, सहायता प्राप्त एवं निजी डिप्लोमा स्तर की संस्थायें है, जिनमें रोजगारपरक तथा उद्योगोन्मुखी परम्परागत तकनीकी तथा नई उभरती तकनीकी के 32 पाठयक्रम संचालित हैं।

पठन-पाठन की व्यवस्था:

- विज्ञान एवं टेक्नोलाजी के क्षेत्र में हो रहे बहुआयामी विकास के कारण प्रदेश के आद्योगिक परिदृश्य में हो रहे क्रान्तिकारी परिवर्तनों के अनुरूप तकनीकी शिक्षा के पाठ्यक्रमों में शिक्षण—प्रशिक्षण की समुचित ब्यवस्था है।
- त्रकनीकी प्रशिक्षण की आवश्यकता के अनुरूप साज-सज्जा, आँघुनिक मशीनों तथा प्रशिक्षण व्यवस्था का सुदृढीकरण, उद्योगोन्मुखी एवं रोजगारपरक नवीन पाठ्यक्रमों की आधारमृत संरचना।

अनुसूचित जाति / जनजाति एवं ओ०बी०सी० अम्यर्थियों को दी जाने वाली छात्रवृत्तियाँ सम्बन्धी जानकारी समाज कत्याण विमाग द्वारा अनुसूचित जाति / जनजाति एवं ओ०बी०सी० के अई अम्यर्थियों को प्रवेश के उपरान्त शिक्षण शुक्क छात्रवृत्ति के रूप में वापस किया जाता है।

महिलाओं हेतु विशेष व्यवस्था

- ♣ महिलाओं हेतु प्रदेश में 3 पालीटेकनिक संचालित किये जा रहे हैं, जिनमें चल रहे रुचिकर एवं रोजगारपरक पाठ्यक्रमों में केवल महिलाओं के लिए ही प्रशिक्षण उपलब्ध है।
- 💠 महिला पालीटेकनिकों के अतिरिक्त महिलाओं के लिये समस्त पालीटेकनिकों में 30 प्रतिशत आख्क्षण की व्यवस्था भी की गयी है।
- 💠 छात्राओं के लिए बस सुविधा, छात्रावास, एन०एस०एस० प्रशिक्षण एवं पुस्तकालय एवं वाचनालय की सुविधा भी उपलब्ध है।

शिक्षणेत्तर क्रियाकलाप: संस्था स्तर/क्षेत्रीय स्तर एवं राज्य स्तर पर खेलकूद, वादविवाद, सांस्कृतिक एवं अन्य बहुआयामी कार्यक्रमों का आयोजन।

विकलांगों हेतु विशेष प्रशिक्षण: श्रवण एवं अस्थि विकलांगों को स्वावलम्बी एवं आत्मिनर्भर बनाने हेतु के०एल०पालीटेकनिक रूड़की (हरिद्वार) में विकलांग अम्पर्थियों हेतु भारत सरकार द्वारा संस्थान में विकलांग छात्रों को नि:शुल्क प्रशिक्षण, छात्रावासीय सुविधा, रू० 190.00 प्रतिमाह की छात्रवृत्ति, रू० 250.00 प्रतिमाह की फूड सब्सिडी तथा संस्था की नि:शुल्क यूनीफार्म प्रदान की जाती है।

ऑनलाईन काउंसिलिंग एवं सीट आवंटन का संक्षिप विवरण: परिषद् द्वारा प्रवेश परिक्षाफल घोषणा के उपरान्त भारत सरकार की इकाई एन०आई०सी० के सहयोग से आनलाईन काउंसिलिंग का आयोजन किया जाता है। जिसमें अम्पर्थी कहीं से भी जहाँ इन्टरनेट की सुविधा हो काउंसिलिंग में सम्मिलित हो सकता है। अम्पर्थियों द्वारा आनलाईन विकल्प भरने के उपरान्त एन०आई०सी० के द्वारा प्रवेश सूची भी इन्टरनेट के माध्यम से तथा मोबाईल के माध्यम से जारी की जाती है। काउंसिलिंग की तिथियों की सूचना परिषद् के द्वारा समाचार पत्रों एवं वेबसाईट के माध्यम से प्रकाशित की जाती है।

संस्था में छात्र की उपस्थिति की अनिवार्यता सम्बन्धी विवरण: प्रवेश के उपरान्त छात्र को वार्षिक एवं सेमेस्टर परीक्षा में सम्मिलित होने के लिये 80 प्रतिशत उपस्थिति होनी अनिवार्य है।

सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत लोक सूचना अधिकारी / अपीलीय अधिकारी का विवरण: सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में परिषद् में प्रथम अपीलीय अधिकारी, लोक सूचना अधिकारी एवं सहायक सूचना अधिकारी की नियुक्ति कर दी गयी है।

संस्थाओं में रैगिंग से सम्बन्धित नियम: माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में पालीटेकनिक संस्थाओं में रैगिंग किया जाना पूर्णतः प्रतिबन्धित है। जिसके लिये प्रत्येक वर्ष समस्त पालीटेकनिकों में प्रधानाचार्यों द्वारा एन्टी रैगिंग खवायड की नियुक्ति किया जाना अनिवार्य है।

राजकीय / महिला / ग्रामीण / सहायता प्राप्त पालीटेकनिक संस्थाओं में उत्तराखण्ड शासनादेश सं0 245 / XLI-1/2016-61/09 देहरादून दिनांक 15 फरवरी 2016 एवं शासनादेश सं0 744 / XLI-1/2016-61/09 दिनांक 14 जून 2017 के द्वारा निर्धारित शुल्क ढाँचाः—

क्रं0 सं0	शुल्क की मदें	शुल्क दरें ₹ में
1	शिक्षण शुल्क	8000.00
2	छात्र निधि शुल्क	5000.00
	प्रवेश फार्म एवं प्रवेश शुल्क निबंधन	50.00
	2 परिचय पत्र शुल्क	50.00

क्रं0 सं0	शुल्क	ज्ञी मदें 	शुल्क दरें ₹ में
	15	छात्र वेलफेयर शुल्क	100.00
	16	एन0सी0सी0 शुल्क	100.00
	17	पुस्तकालय काशन मनी	100.00
	চারা	वास शुल्क	4000.00

क्रं0 सं0	शुल	क की मदें	शुल्क दरें ₹ में
	3	क्रीड़ा शुल्क	250.00
	4	वार्षिकोत्सव शुल्क	100.00
	5	शैक्षिक परीक्षा शुल्क	100.00
	6	मैग्जीन शुल्क	100.00
	7	हॉबी सेन्टर शुल्क	50.00
	8	विद्युत शुल्क	1000.00
	9	कॉसन मनी संस्थागत् (refundable)	100.00
	10	शैक्षिक / औद्योगिक भ्रमण	300.00
	11	अनुरक्षण शुल्क	1500.00
	12	कम्प्यूटर / इन्टरनेट शुल्क	500.00
	13	विकास / भवन विकास शुल्क	500.00
	14	पुस्तकालय शुल्क	100.00

		\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \
क्रं0	शुल्क की मदें	शुल्क दरें ₹ में
सं0		
	18 छात्रावास शुल्क	600.00
	19 छात्रावास काशन मनी	200.00
	20 छात्रावास अनुरक्षण शुल्क	2000.00
	21 छात्रावास विद्युत शुल्क	1100.00
	22 बर्तन चन्दा	100.00
	बोर्ड परीक्षा शुल्क	राजकीय–500.0
	मुख्य परीक्षा शुल्क (सभी छात्रों	निजी क्षेत्र—1000.0
3	हेतु एक समान)	
3	परीक्षा आवेदन पत्र शुल्क	200/-
	बैक पेपर परीक्षा शुल्क (सभी	200/- प्रति विषय
	छात्रों हेतु एक समान)	
	स्क्रूटनी शुल्क	250/- प्रति विषय
	अंकतालिका शुल्क	
	(संस्था द्वारा निर्गत करने पर)	20.00
	(परिषद् द्वारा निर्गत करने पर)	30.00
		2000/- प्रति विषय
	पुर्नमूल्यांकन	

नोटः प्रवेशित छात्र—छात्राओं द्वारा मात्र एक ही संस्थान में शुल्क जमा किया जायेगा। छात्र—छात्रा का जीप—द्वितीय / तृतीय काउंसिलिंग के माध्यम से पालीटेकनिक एवं पाठ्यक्रम परिवर्तन होने की दशा में नयी संस्था में प्रवेश पुरानी संस्था द्वारा प्रदत्त रिलीविंग सर्टिफिकेट (जिसमें छात्र द्वारा जमा किये गये समस्त शुल्क का विस्तृत विवरण उपलब्ध होगा) प्रस्तुत करने पर होगा एवं छात्र से नयी स्थानान्तरित संस्था में कोई शुल्क (शिक्षण / छात्रनिधि) नहीं लिया जायेगा।

निजी क्षेत्र के पालीटेकनिक संस्थाओं में उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं0 1363 / XXIV(8)/2009-03/04 दिनाँक 27 अक्टूबर, 2009 एवं 600 / XXIV(8)/2010-51/2005 दिनाँक 28 अप्रैल 2010 के अनुसार शुल्क ढाँचा:—

क्रं0	संस्था का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	निर्धारित शुल्क
सं0			
1	शाकुम्भरी इन्स्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन एवं टेक्नोलाजी, रूड़की	डी0फार्मा	₹ 45000 प्रतिवर्ष (अनन्तिम)
	विशम्बर सहाय डिप्लोमा इंजी० कालेज, देहरादून	इंजीनियरिंग शाखा	₹ 35000 प्रतिवर्ष (अनन्तिम)
	माडर्न इन्स्टीट्यूट आफ टेक्नोलाजी, ऋषिकेश	डी0फार्मा	₹ 45000 प्रतिवर्ष (अनन्तिम)
	ज्ञानी इन्दर सिंह इन्स्टीट्यूट आफ एजुकेशन साइन्स एवं टेक्नोलाजी, देहरादून	डी0फार्मा	₹ 45000 प्रतिवर्ष
5	रूड़की कालेज आफ फार्मेसी किशनपुर, रूड़की	डी0फार्मा	₹ 45000 प्रतिवर्ष
	श्री देव भूमि इन्स्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन साइन्स एवं टेक्नोलाजी, देहरादून	डी0फार्मा	₹ 45000 प्रतिवर्ष (अनन्तिम)
7	बी०एस० नेगी, महिला प्राविधिक प्रशिक्षण संस्थान, देहरादून	फैशन डिजायन, गारमेन्ट टैक्नोलाजी	₹ 22300 प्रतिवर्ष

क्रं0 सं0	संस्था का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	निर्धारित शुल्क
8	सिद्धार्थ इन्स्टीट्यूट आफ फार्मेसी सहस्त्रधारा रोड़ देहरादून	डी0फार्मा	₹ 45000 प्रतिवर्ष
9	रामानन्द इंस्टीट्यूट आफ फार्मेसी, ज्वालापुर हरिद्वार	डी0फार्मा	₹ 45000 प्रतिवर्ष

डिप्लोमा स्तरीय इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों से संबंधित ऐसे संस्थान जिनके द्वारा अभी तक शुल्क निर्धारण का प्रस्ताव उपलब्ध नहीं कराया है, उनके द्वारा भी अनन्तिम रूप से ₹ 35000/— का वार्षिक शुल्क तथा डी0फार्मा हेतु ₹ 45000/— प्रतिवर्ष ही छात्रों से लिया जायेगा। निजी क्षेत्र के होटल मैनेजमेन्ट संस्थानों में उत्तराखण्ड के शासनादेश सं0 773/XXIV(8)/2006-51/2005 TC दिनाँक 23 अगस्त 2006 के अनुसार होटल मैनेजमेन्ट पाठ्यक्रम के लिये ₹ 43000/— निर्धारित किया गया है।

उत्तराखण्ड प्राविधिक शिक्षा परिषद् द्वारा पालीटेकनिक संस्थाओं संचालित पाठ्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण

	पाठ्यक्रम का नाम	पाठ्यक्रम	पाठ्यक्रम परिचय	रोजगार के अवसर
क्र0	पाठ्यक्रम का नाम	पाठ्यक्रम	पाठ्यक्रम पारचय	राजगार क अवसर
सं0		अवधि		
1	केमिकल इंजीनियरिंग	तीन वर्ष	केमिकल प्लान्ट आपरेशन, विभिन्न उपकरणों, मशीनों की सर्विसिंग,	केमिकल निर्माण उद्योग, फूड प्रोसेसिंग, डिस्टिलरी उद्योग में, शुगर मिल्स में,
	ફળાગવારન		विभिन्न उत्पाद निर्माण प्रक्रिया	विभिन्न सरकारी उद्योगों में, शैक्षिक
			तकनीक, प्रोसेस कन्ट्रोल, विभिन्न	संस्थाओं में, दवा उद्योगों में, विभिन्न
			औद्योगिक इकाइयों का सेटअप, पर्यावरण प्रदूषण, सेफ्टी तकनीक।	उत्पादक उद्योगों में तथा स्वरोजगार।
2	केमिकल	तदैव	तदैव	तदैव
	टेक्नोलाजी (पेन्ट) केमिकल	तदैव	المسالحة الما المسالحة المسالحة المسالحة المسالحة المالية الما	विभिन्न रबर व प्लास्टिक मैटीरियल
3	टेक्नोलाजी (रबर	तिद्व	तकनीक, मशीन मेन्टीनेंस, नये	
	एवं प्लास्टिक)		उपयोगी उत्पाद निर्माण प्रक्रिया,	
			टेस्टिंग व क्वालिटी कन्ट्रोल की	
			जानकारी	
4	इलेक्ट्रानिक्स	तदैव	इलेक्ट्रानिक्स आइटम की एसेम्बली,	एच०ए०एल०, टी०वी० निर्माण कम्पनी,
	इंजी0		मैन्युफैक्चरिंग सर्विसिंग एण्ड	आकाशवाणी, एअरपोर्ट अथॉरिटी,
			मेन्टीनेन्स, सेल्स एण्ड मार्केटिंग।	नागरिक उड्डयन, डाक एवं तार विभाग, दूरसंचार, बी.ई.एल., बी.एच.ई.एल. विद्युत
				परिषद्, इलेक्ट्रानिक्स निर्माण उद्योग।
5	कम्प्यूटर साइंस	तदैव	कम्प्यूटर प्रोग्रामिंग, हार्डवेयर के	कम्प्यूटर निर्माण उद्योग/प्रतिष्ठान एवं
	एंड इंजीनियरिंग		सम्बन्ध में जानकारी।	कार्यालय, अनुरक्षण सम्बन्धी कार्य,
				साफ्टवेयर निर्माण उद्योग में।
6	इन्टीरियर डिजाइन	तदैव	भवनों की आन्तरिक साज—सज्जा की प्लानिंग, ड्राफ्टिंग तथा	डिजाइनिंग कन्सलटेन्सी, टूरिज्म विभाग, निजी निर्माण, समस्त शो रूम में,
	હિળાફન		का प्लानग, ड्रााफ्टग तथा सुपरविजन।	फर्नीचर डिजाइन आदि में।
7	इन्फॉर्मेशन	तदैव	वेंब डिजाइनिंग, बिजनेस शापिंग	सरकारी एवं निजी संस्थाओं में रोजगार।
	टेक्नोलाजी		तथा इन्टरनेट द्वारा त्वरित सूचनाओं	
	4.0		का आदान-प्रदान।	0 (2
8	फार्मेसी	दो वर्ष	बायो—कैमिस्ट्री, स्वास्थ्य शिक्षा मानव शरीर—संरचना क्रिया प्रणाली,	सरकारी / गैर सरकारी दवा स्टोर रूम में, शिक्षण संस्थाओं में तथा दवा निर्माण
			दवा निर्माण तकनीक।	कम्पनी में।
			प्या गंगाण संक्रगाका	4/1411 11

क्रं0	पाठ्यक्रम का नाम	पाठ्यक्रम	पाठ्यक्रम परिचय	रोजगार के अवसर
सं0		अवधि		
9	माडर्न आफिस मैनेजमेन्ट एण्ड सेक्रेट्रियल प्रैक्टिस	दो वर्ष	सचिवीय कार्य/वैयक्तिक सहायक के कार्य	केन्द्रीय, राज्य सरकार एवं निजी संस्थानों में।
10	पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कम्प्यूटर एप्लीकेशन	दो वर्ष	कम्प्यूटर साफ्टवेयर के सम्बन्ध में जानकारी	सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थाओं में कम्प्यूटर उद्योगों में, निजी प्रतिष्ठानों में एवं अन्य में।
11	अन्य पाठ्यक्रम सिविल, विद्युत, यांत्रिक	तीन वर्ष	सम्बन्धित विषय में पूर्ण जानकारी	सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थाओं में सम्बन्धित उद्योगों में, निजी प्रतिष्ठानों एवं अन्य उद्योगों में।

।।ऑनलाईन आवेदन भरने हेतु आवश्यक निर्देश।।

- (1) आवेदन पत्र सावधानी पूर्वक भरना एक महत्वपूर्ण कार्य है। अभ्यर्थी प्रत्येक पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु निर्धारित न्यूनतम शैक्षिक अर्हता आदि को सावधानी पूर्वक पढ़कर ही आवेदन पत्र भरें, क्योंकि आनलाईन फार्म में सिनरीक्षा कठिन होती है। साईबर कैफे से आवेदन भरने वाले अभ्यर्थी शुल्क जमा करने से पूर्व अपना आवेदन पत्र सावधानी पूर्वक पढें। आवेदन पत्र जमा (Submitt) करने के बाद आवेदन पत्र में किसी भी प्रविष्टि को संशोधित नहीं किया जायेगा।
- (2) अभ्यर्थी उर्ध्व एवं क्षैतिज आरक्षण से सम्बन्धित श्रेणी / उप श्रेणी का अंकन ऑनलाइन आवेदन पत्र में अवश्य करें। आरक्षण का दावा न किये जाने की दशा में अभ्यर्थी को आरक्षण का लाभ कदापि अनुमन्य नहीं होगा।
- (3) अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लें कि सभी प्रकार के पूर्ण ऑनलाइन आवेदन करने की अन्तिम तिथि को नियत समय तक अभ्यर्थी को "ONLINE APPLICATION" प्रक्रिया में "Register Now" बटन को "Click" करना अनिवार्य है। तत्पश्चात नियत अविध तक परीक्षा शुल्क Net Banking/Debit Card/Credit Card के माध्यम से जमा करना है। परीक्षा शुल्क जमा करने के उपरान्त अभ्यर्थी द्वारा फोटो, हस्ताक्षर एवं अन्य सभी जानकारी अपलोड करने के उपरान्त ही आवेदन प्रक्रिया पूर्ण मानी जाएगी।
- 4) अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन की प्रिन्टआउट प्रति भविष्य में परिषद् से किये जाने वाले पत्राचार व अन्य आवश्यक उपयोग / साक्ष्य हेत् अपने पास सुरक्षित रखें।
- (5) उत्तराखण्ड प्राविधिक शिक्षा परिषद् द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार किसी भी अभ्यर्थी द्वारा आवेदन में गलत तथ्यों का प्रकटीकरण जिनका वैध प्रमाण—पत्रों के आधार पर पुष्टि न हो या फर्जी प्रमाण पत्रों (शैक्षिक योग्यता/अनुभव/आरक्षण सम्बन्धी) के आधार पर आवेदन प्रस्तुत किया गया हो, ऐसे अभ्यर्थियों को परिषद् की समस्त परीक्षाओं से अधिकतम् 03 वर्षों के लिए प्रतिवारित कर दिया जायेगा साथ ही सुसंगत विधि के अन्तर्गत ऐसे अभ्यर्थियों के विरुद्ध अभियोग भी दर्ज कराया जा सकता है।
- (6) परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि वे परीक्षा में प्रवेश हेतु पात्रता की सभी शर्तों को पूरा करते हैं। परीक्षा के सभी स्तरों पर उनका प्रवेश पूर्णतः अनन्तिम होगा। अभ्यर्थी को मात्र प्रवेश—पत्र जारी किए जाने का यह अर्थ नहीं होगा कि उसका अभ्यर्थन परिषद् द्वारा अंतिम रूप से सुनिश्चित कर दिया गया है। यदि किसी भी स्तर पर यह पाया जाता है कि अभ्यर्थी अर्ह नहीं था अथवा उसका आवेदन अस्वीकृत किया जाना चाहिए था अथवा वह प्रारम्भिक स्तर पर ही स्वीकार किए जाने योग्य नहीं था तो उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा।

- (7) ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करने के उपरान्त आवेदन में की गयी प्रविष्टियों यथा अर्हता, आरक्षण से सम्बन्धित श्रेणी / उप श्रेणी, आयु एवं परीक्षा केन्द्र या अन्य किसी बिन्दु पर किसी भी प्रकार का संशोधन या परिवर्तन का अनुरोध स्वीकार नहीं किया जायेगा।
- (8) ऑनलाइन आवेदन भरने के पूर्व विज्ञापन में वर्णित समस्त निर्देशों का भली—भाँति अध्ययन कर लें तथा ऑनलाइन आवेदन को सही—सही भरें। परिषद् में ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत कर दिए जाने के उपरान्त मूल आवेदन में दर्शाए गए विवरणों / प्रविष्टियों में किसी भी प्रकार का परिवर्तन किसी भी दशा में अनुमन्य नहीं होगा।
- (9) अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन करने हेतु अन्तिम तिथि की प्रतीक्षा न करें, बल्कि उससे पर्याप्त समय पूर्व ही अपना ऑनलाइन आवेदन करना सुनिश्चित करें।
- (10) **ऑफलाईन ओ०एम०आर० आवेदन पत्र** उत्तराखण्ड में समस्त राजकीय एवं राजकीय सहायता प्राप्त संस्थानों में उपलब्ध हैं।
- (11) प्रत्येक ग्रुप के लिये अभ्यर्थी अलग–अलग आवेदन एवं शुल्क जमा करेंगे।

संयुक्त सचिव, संयुक्त प्रवेश परीक्षा एवं प्रशिक्षण अनुसंधान विकास प्रकोष्ठ, अपर आमवाला देहरादून

संयुक्त प्रवेश परीक्षा एवं प्रशिक्षण अनुसंधान विकास प्रकोष्ठ अपर आमवाला देहरादून

उत्तराखण्ड प्राविधिक शिक्षा परिषद से सम्बद्ध उत्तराखण्ड के पॉलीटेकनिकों / तकनीकी संस्थानों में डिप्लोमा इंजीनियरिंग / टेक्नोलॉजी एवं अन्य पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु

संयुक्त प्रवेश परीक्षा पॉलीटेकनिक्स — 2020 (JEEP-2020)

परिषद् की वेबसाईट www.ubter.in, www.ubtejeep.in

GROUP-T (ONLY FOR FEMALE)

संशोधन 10 जुलाई 2020

ग्रुपवार पाठ्यक्रमों के कोड की सूची

SN	GROUP CODE	BRANCHCODE	BRANCH NAME
30.		10	FASION DESIGN
31.	T (TEXTILE)	11	GARMENT TECHNOLOGY
32.		19	TEXTILE DESIGN

प्रवेश हेतु पाठ्यक्रम का नाम, कोड, अवधि, शैक्षिक अर्हता, परीक्षा—विषय तथा प्रवेश परीक्षा में प्रश्नों का प्रतिशत :—

पाठ्यक्रम ग्रुप	पाठ्यक्रम का नाम	अवधि	न्यूनतम शैक्षिक अर्हता	परीक्षा विषय एवं पाठ्यक्रम				
T केवल महिला अभ्यर्थियों के लिये	 टेक्सटाईल डिजाइन गारमेन्ट टेक्नोलाजी फैशन डिजाइन 	तीन वर्षीय	हाईस्कूल उत्तीर्ण (Obtained at least 35% marks at the qualifying examination)	अंग्रेजी एवं हिन्दी कम्प्रहेन्सन 20% रीजनिंग एण्ड इन्टेलीजेन्सी 50% जनरल अवेयरनेस 30%	%			

संस्था एवं पाठ्यक्रमः

		INST					BRAN	NCH CO	DDE		
5	S.N	CODE									
14	40.	020	B.S. NEGI MAHILA PRAVIDHIK PRASHIKSHAN SANSTHAN DEHRADUN	10	11	15	17	19	42		

ऑनलाईन आवेदन भरने की अंतिम तिथि 17 अगस्त 2020

सचिव